B.Ed.-II G.D.M.I.H. BUXAR

पर्यावरण शिक्षा दिनांक-27/04/2020

ENVIRONMENTAL EDUCATION Asst. Pro- A.K. Shukla

UNIT-I पर्यावरण एवं विधि (ENVIRONMENT AND LAW)

संविधान और पर्यावरण

पर्यावरण को बचाने की न सिर्फ हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, बल्कि यह हमारी विधिक जिम्मेदारी भी बनती है। भारत न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण को लेकर सदैव सजग रहा, बल्कि उसने संवैधानिक स्तर पर भी पर्यावरण संरक्षण की तरफ ध्यान दिया। हमारे देश में पर्यावरण के अनुकूल एक समृद्ध संस्कृति भी रही है। यही कारण है कि देश में हर स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति ध्यान दिया गया और हमारे संविधान निर्माताओं ने इसका ध्यान रखते हुए संविधान में सम्मानपूर्वक पर्यावरण की जगह सुनिश्चित की। यह जान लेना उचित होगा कि भारत वह पहला देश है, जहां पर्यावरण के संरक्षण और सुधार को मूलभूत कर्त्तव्यों में शामिल किया गया। पर्यावरण को संवैधानिक स्तर पर मान्यता देते हुए इसे सरकार और नागरिकों के संवैधानिक दायित्व से जोड़ा गया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48-क में यह प्रावधान है कि "राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा सुधार और वनों तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा।" इसी क्रम में संविधान का अनुच्छेद 51-क कहता है—"भारत के हर नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह वनों, झीलों, नदियों तथा वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे और सभी सजीव प्राणियों के प्रति करुणा रखे।" भारतीय संविधान के इन्हीं प्रावधानों के अनुरूप भारत में पर्यावरण संबंधी अनेक कानून बनाए गये।

वैसे पर्यावरण का असंतुलन एक वैश्विक समस्या है और इसे बचाना एक वैश्विक जिम्मेदारी भी है। पर्यावरण से जुड़ी वैश्विक चुनौतियों को ही ध्यान में रखकर वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, जिसमें 113 देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। इस सम्मेलन में की गई घोषणा को हम यहां रेखांकित कर रहे हैं—

"मानवीय पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है, जिससे लोगों की खुशहाली और पूरे विश्व का आर्थिक विकास जुड़ा है। सभी सरकारों और संपूर्ण मानव जाति का यह दायित्व है कि वह मानवीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए मिल-जुल कर काम करे, ताकि संपूर्ण मानव जाति और उसकी भावी पीढ़ियों का हित हो सके।" यह घोषणा काफी कारगर साबित हुई और इसको ध्यान में रखकर अनेक देशों ने पर्यावरण संरक्षण हेतु नियम-कायदों व कानूनों का निर्धारण किया और इन कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में दण्ड की भी व्यवस्था की।

भारत में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर व्यापक पैमाने पर अनेक कानून बनाए गये हैं, ताकि यहां पर्यावरण संरक्षित रह सके और उसमें सुधार लाया जा सके। यहां इन कानूनों के बारे में सिलसिलेवार जान लेना आवश्यक होगा।

भारतीय संविधान में न सिर्फ पर्यावरण को विशेष रूप से तरजीह दी गई है, (जैसा कि उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है) बल्कि इससे जुड़े विषयों को तीन श्रेणियों में सूचीबद्ध भी किया गया है। ये तीन श्रेणियां हैं—(1) संघ सूची (2) राज्य सूची व (3) समवर्ती सूची। यहां इन तीनों सूचियों से संबद्ध विषयों के बारे में जान लेना श्रेयस्कर रहेगा।

1. संघ सूची के विषय : संघ सूची के 52वें शीर्षक में जहां उद्योग को स्थान दिया गया है, वहीं 53वें शीर्षक में तेल क्षेत्रों व खनिज तेल संपत्ति स्रोतों के विनियमन व विकास को सम्मिलित किया गया है। 54वां शीर्षक जहां खानों के विनियमन और खनिज विकास से संबंधित है, वहीं 55वें शीर्षक में खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा के विनियमन के बारे में बताया गया है। 56वां शीर्षक अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के निर्माण से संबंधित है, तो 57वां शीर्षक राज्य क्षेत्रीय सागर खंड से परे मछली पकड़ने व मत्स्य क्षेत्र पर केन्द्रित है।

2. राज्य सूची के विषय : राज्य सूची में विषयों के रूप में छठवें शीर्षक में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को स्थान दिया गया है। 14वें शीर्षक में कृषि, कीड़ों से सुरक्षा तथा पौधों

Scanned by CamScanner

की बीमारियों व उनके बचाव के बारे में बताया गया है। सूची का 17वां शीर्षक जल प्रदाय, सिंचाई और नहरों, जल विकास, तटबंध व जल भंडारण जैसे विषयों पर केन्द्रित है। 18वां शीर्षक जहां भूमि विकास और सुधार से संबंधित है, वहीं 21वें शीर्षक में मात्स्यिकी के बारे में बताया गया है।

समवर्ती सूची के विषय : समवर्ती सूची के शीर्षक 17-A में जहां वनों को स्थान दिया गया है, वहीं 17-B शीर्षक वन्य पशुओं एवं पक्षियों के संरक्षण से संबंधित है। शीर्षक 20 जहां आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन पर केन्द्रित है, वहीं शीर्षक 20-ए का संबंध जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से है।

पर्यावरण और कानून

स्वतंत्रता से पूर्व पर्यावरण कानून

उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता से पूर्व हमारा संविधान अस्तित्व में नहीं आया था। पराधीनता के समय भी पर्यावरण की तरफ विधिक स्तर पर ध्यान दिया जाता था। ब्रिटिशकाल में भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code-1860) की धाराओं-268, 290, 291, 426, 430, 431 तथा 432 के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का निपटारा किया जाता था। भारतीय दंड संहिता की धारा 277 जहां जल प्रदूषण से संबंधित थी, वहीं धारा 278 का संबंध वायु प्रदूषण से था। यहां हम उन कानूनों को सिलसिलेवार दे रहे हैं, जिनका संबंध स्वतंत्रता से पूर्व पर्यावरण संरक्षण से था—

(क) जल प्रदूषण से संबंधित कानून : स्वतंत्रता से पूर्व जल प्रदूषण से संबंधित निम्न कानून विद्यमान थे—

1. दि नार्थ कैनाल एण्ड ड्रेनेज एक्ट-1873
2. द आब्स्ट्रक्शन ऑफ फेयरवेज एक्ट-1881
3. इंडियन फिशरीज एक्ट, 1897

(ख) वायु प्रदूषण के लिये स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित कानून विद्यमान थे—

1. दि ओरिएण्टल गैस कंपनी एक्ट, 1857
2. दि एक्स्प्लोसिव एक्ट, 1908
3. दि इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923
4. दि मोटर व्हीकल एक्ट, 1938

(ग) वन्य जीव संरक्षण हेतु स्वतंत्रता से पूर्व नीचे दिया गया कानून लागू होता था—

दि इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट, 1927

(घ) कीटाणुनाशक के लिये स्वतंत्रता से पूर्व नीचे दिया कानून लागू होता था—

दि पॉयजन एक्ट, 1919

(ङ) कृषि संरक्षण के लिये स्वतंत्रता से पूर्व नीचे दिये गये कानून अस्तित्व में थे—

1. दि मैसूर डिस्ट्रेक्टिव एण्ड पेस्ट एक्ट, 1917
2. दि आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर पेस्ट एण्ड डिजीज एक्ट, 1919
3. दि केरल एग्रीकल्चर पेस्ट एण्ड डिजीज एक्ट, 1917

स्वतंत्रता के बाद पर्यावरण कानून

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक केंद्रीय अधिनियम व नियम बनाए गए हैं, जिनका ब्यौरा निम्नवत् है—

रिवर बोर्ड अधिनियम, 1966, इंसेक्टीसाइट्स एक्ट, 1968, मर्चेंट शिपिंग (संशोधन) अधिनियम, 1970, विकिरण सुरक्षा अधिनियम, 1971, वन्य (जीव संरक्षण) अधिनियम, 1972, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 (वर्ष 1978 में संशोधित), जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकरण अधिनियम, 1977, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1980, वन संरक्षण अधिनियम, 1980, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 1989, औद्योगिक (विकास एवं नियमन), 1951, खाद्य अपमिश्रण नियंत्रण अधिनियम, 1954, प्राचीन इमारतें एवं पुरातात्विक क्षेत्र खण्डहर अधिनियम, 1958, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962, द गुजरात स्मोक न्यूसेंस एक्ट, 1963, द रिवर बोर्ड एक्ट, 1956, उड़ीसा नदी प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1953, महाराष्ट्र प्रीवेंशन ऑफ वॉटर पॉल्यूशन एक्ट, 1969, दि बिहार कंट्रोल ऑफ दि न्यूज एण्ड प्ले ऑफ लाउडस्पीकर एक्ट, 1955, ग्रांट ऑफ परमीशन अंडर द हिमाचल प्रदेश इंस्ट्रूमेंट (कंट्रोल ऑफ नॉयज) एक्ट, 1969, राष्ट्रीय वनस्पति अधिनियम, 1988, भू-क्षरण अधिनियम, 1955, राजस्थान शोर नियंत्रण अधिनियम, 1961, ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) संशोधित अधिनियम, 2002, भारतीय मत्स्य संरक्षण अधिनियम, 1997, नगर भूमि (सीमा निगम) अधिनियम, 1976, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2000, रेडियोधर्मिता निवारण नियम, 1971, हानिकारक व्यर्थ (प्रबंधन एवं हस्तालन) नियम, 1989, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस अधिनियम, 1991 (वर्ष 1992 में संशोधित)।

(नोट—संसद द्वारा खतरनाक रसायनों से किसी व्यक्ति की मौत होने अथवा चोटग्रस्त होने या दुर्घटना से संपत्ति को नुकसान पहुंचने की दशा में मालिक द्वारा तत्काल राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह विधेयक लागू किया गया है, जो कि मालिक के लिए अनिवार्य रूप से बीमा पॉलिसी लेना प्रावधानित करता है। इसमें पर्यावरण राहत कोष की भी व्यवस्था है, जो कि लाभांशों से प्राप्त धन से बनाया गया है।)

राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995, पर्यावरण (औद्योगिक परियोजना का स्थान निर्धारण) नियम, 1999, जैव विविधता अधिनियम, 2002।

Scanned by CamScanner

भारतीय संविधान में न सिर्फ पर्यावरण को बचाने की अवधारणा निहित है, बल्कि पर्यावरण असंतुलन से होने वाले दुष्प्रभावों से भी रक्षा की तरफ ध्यान दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उन गतिविधियों से बचाया जाना चाहिए, जो उसके जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को हानि पहुंचाती हों। स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद पर्यावरण को बचाने के वैश्विक आह्वान को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1976 में भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कुछ महत्त्वपूर्ण प्रावधान किये गये। इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51-क जोड़कर पर्यावरण के महत्त्व को रेखांकित किया गया। इस प्रकार जहां पर्यावरण की सुरक्षा को नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्यों में शामिल किया गया, वहीं इन्हें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में भी जगह दी गई। पर्यावरण के दृष्टि से भारतीय संविधान के अनुच्छेदों-252 व 253 को काफी महत्त्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ये पर्यावरण को ध्यान में रखकर कानून बनाने के लिए अधिकृत करते हैं।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986

(The Environment Protection Act)

वर्ष 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में भारत में यह अधिनियम लागू हुआ। यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक सामान्य अधिनियम है, जो कि न सिर्फ पर्यावरण से जुड़े आकस्मिक खतरों से निपटने की व्यवस्था करता है, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा की दीर्घकालिक आवश्यकताओं का अध्ययन, नियोजन व क्रियान्वयन भी करता है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित यह एक व्यापक कानून है, जो कि 19 नवंबर, 1986 से लागू किया गया। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बगैर शुरू नहीं किया जा सकेगा। यदि वह ऐसा करता है, तो कारावास व जुर्माना हो सकता है। यहां हम इस अधिनियम की मुख्य बातों को बिन्दुवार प्रस्तुत कर रहे हैं—

- यह अधिनियम जहां केंद्र सरकार को खतरनाक पदार्थों के प्रयोग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी प्रदान करता है, वहीं इस अधिनियम की धारा 3(1) केन्द्रीय सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार व पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण व रोकथाम के प्रयोजन से सभी अनिवार्य एवं समुचित उपाय करने का अधिकार प्रदान करता है।
- अधिनियम की धारा 5 विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, जो कि यह निर्देशित करती है कि केंद्र सरकार किसी भी उद्योग या औद्योगिक प्रक्रिया को बंद करने, रोक लगाने या विनियमित करने की दृष्टि से सख्त निर्देश दे सकती है। इतना ही नहीं, सरकार बिना न्यायालय के आदेश के जल, विद्युत या किसी अन्य सेवा को रोकने अथवा विनियमित करने के निर्देश भी दे सकती है। केंद्र सरकार पर्यावरण के अनुकूल भूमि का उपयोग करने के बारे में निर्देश दे सकती है या पर्यावरण की दृष्टि से आवश्यक अन्य नियमों का निर्धारण कर सकती है।
- इस अधिनियम की धारा 6 में सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह जल व भूमि की गुणवत्ता के मानकों के निर्धारण हेतु नियम बना सके। ऐसा करते हुए वह जहां विभिन्न क्षेत्रों के पर्यावरणीय प्रदूषकों, जिसमें ध्वनि प्रदूषण भी शामिल है, के लिए अधिकतम स्वीकृत सीमा निर्धारित कर सकती है, वहीं विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना और औद्योगिक प्रक्रियाओं के बारे में निषेध व सीमाओं का निर्धारण कर सकती है। धारा 6 के तहत सरकार न सिर्फ घातक पदार्थों के प्रबंधन हेतु कार्य विधि तथा बचाव के उपाय निर्धारित कर सकी है, बल्कि ऐसी दुर्घटनाएं, जिनसे पर्यावरणीय प्रदूषण हो सकता है, की कार्यविधि व बचाव तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपाय कर सकती है।
- इस अधिनियम में आदेशात्मक रूप से यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी उद्योग निर्धारित मानकों से अधिक न तो वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन करेगा और न ही जल प्रदूषकों को प्रवाहित करेगा।
- अधिनियम के उल्लंघन पर सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान है। पहली बार दोषसिद्ध होने पर जहां 5 वर्ष की कैद हो सकती है, वहीं एक लाख रुपये अर्थदंड भी चुकाना पड़ सकता है। दोनों सजाएं एक साथ भी हो सकती हैं। अपराध की पुनरावृत्ति होने पर कैद की सजा तो वही रहेगी, किन्तु अर्थदंड रोजाना 5000 तक हो सकता है। यदि आदेशों की अनदेखी एक वर्ष से ज्यादा की जाती है, तो कैद की सजा सात वर्ष तक हो सकती है।

इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशिष्टता यह है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकता है। ऐसा करने से पूर्व उसे सिर्फ सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना पड़ेगा।

Scanned by CamScanner

वायु (प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981

[The Air (Prevention and Control of Pollution) Act]

वर्ष 1981 में अस्तित्व में आया तथा 18 मई, 1981 से लागू हुआ यह अधिनियम मुख्य रूप से वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए बनाया गया। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण प्रदान करना है। इसकी मुख्य बातों को यहां बिन्दुवार दिया जा रहा है—

- इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि वायु प्रदूषण के स्रोत जैसे—वाहनों, उद्योगों व बिजलीघरों आदि को निर्धारित सीमा से अधिक सीसा, कार्बन, कण पदार्थों, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड व अन्य विषैले पदार्थों को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इसकी जांच प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करेंगे। इन बोर्डों को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की शक्तियों और प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित कामों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- यह अधिनियम जहां वायु प्रदूषण के निरोध, नियंत्रण और प्रदूषण को हतोत्साहित करने की व्यवस्था करता है, वहीं बोर्डों को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे लोकहित में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की पानी-बिजली जैसी सेवाएं बन्द कर सकते हैं या उन्हें विनियमित करने का आदेश दे सकते हैं।
- इस अधिनियम के तहत किसी भी उद्योग की स्थापना तभी की जा सकती है, जब इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इजाजत प्राप्त कर ली जाए।
- इस अधिनियम की धारा 20 के तहत मोटर वाहन रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी को राज्य सरकार को यह निर्देश देने का अधिकार है कि वह मोटर वाहनों के उत्सर्जी पदार्थों हेतु निर्धारित मानक लागू करे।
- वर्ष 1988 में वायु प्रदूषण अधिनियम को संशोधित कर इसमें ध्वनि प्रदूषण को भी सम्मिलित किया गया। गौरतलब है कि इससे पूर्व पर्यावरण के किसी भी कानून में ध्वनि प्रदूषण को सम्मिलित नहीं किया गया था, जबकि यह प्रदूषण का एक घातक अवयव है।

वन्यजीवन संरक्षण अधनियम-1972

(The Wild life Protection Act)

वर्ष 1972 में पारित यह अधिनियम मुख्यतः वन्य जीवन को संरक्षण प्रदान करता है तथा इसका संबंध राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों की घोषणा और अधिसूचना से है। इस अधिनियम की खास बातें यहां बिन्दुवार दी जा रही हैं—

- अधिनियम में यह प्रावधान है कि वन्य जीवों और पक्षियों के शिकार पर नियंत्रण हेतु तथा राष्ट्रीय पार्कों एवं पशु विहारों की स्थापना के लिए नियम बनाए जाएंगे।
- इस अधिनियम के तहत ही प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू कर टाइगरों को संरक्षण प्रदान किया गया।
- इस अधिनियम में जहां शेर, चीता, बंदर, भेड़िया, लोमड़ियों व जंगली कुत्तों को संरक्षण के दायरे में लाया गया, वहीं लुप्तप्राय वन्यजीवों को सूचीबद्ध कर उन्हें लुप्तप्राय घोषित किया गया।
- वर्ष 2002 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसे और सख्त बनाया गया तथा इसके तहत स्थानीय जनता द्वारा संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाई गई।
- यह अधिनियम यह व्यवस्था देता है कि अधिनियम के तहत प्रदान किये गये परमिट या लाइसेंस की शर्तों को कोई भंग करता है, तो यह आपराधिक कृत्य माना जाएगा तथा इसके लिए तीन साल तक का कारावास व 25,000 तक अर्थदंड लगाया जा सकता है अथवा दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं। अपराध की पुनरावृत्ति होने पर जहां कैद की सजा अधिकतम छह वर्ष तक हो सकती है, वहीं जुर्माने की राशि भी बढ़ाई जाएगी।

जल (प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974

[The Water (Prevention and Control of Pollution) Act-1974]

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1974 में यह अधिनियम पारित किया गया था तथा इसके अंतर्गत जल प्रदूषण को इस प्रकार परिभाषित किया गया—"जल के भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक गुणों में किसी भी प्रकार के द्रव, गैस या ठोस पदार्थों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने से हुए परिवर्तन या प्रदूषण जो अशुद्धियां पैदा करें या पानी को मानव स्वास्थ्य या सुरक्षा अथवा घरेलू, व्यापारिक, औद्योगक, कृषि या अन्य न्यायोचित उपायों अथवा जंतुओं या पौधे या जलीय जीवों के जीवन तथा

Scanned by CamScanner

स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं।'' इस अधिनियम की मुख्य बातों को यहां बिन्दुवार दिया जा रहा है—

- यह अधिनियम जल प्रदूषण का निरोध, नियंत्रण, हतोत्साहन, जल की स्वच्छता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- यह जहां प्रदूषण के स्तर को नापने का बंदोबस्त करता है, वहीं प्रदूषकों के लिए दंड का भी प्रावधान करता है। तीन माह की कैद या 10,000 जुर्माना हो सकता है। दोनों दंड एक साथ भी दिये जा सकते हैं।
- इस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण बोर्डों को स्वायत्तशासी संस्था का दर्जा प्रदान किया गया है। ये जल प्रदूषण के लिए योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करते हैं। मानकों का उल्लंघन होने पर बोर्ड को न्यायिक कार्यवाही करने की भी शक्ति प्राप्त है।

वन संरक्षण अधिनियम-1980

(Forest Conservation Act-1980)

यह अधिनियम वर्ष 1980 में पारित हुआ तथा वर्ष 1988 में इसमें संशोधन किये गये। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वन विनाश को रोकना है। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बगैर वनों को अनारक्षित न किया जाए। यह प्रावधान इसलिए जरूरी था, क्योंकि कुछ राज्य गैर-जंगली कामों के लिये वनों को अनारक्षित करने लगे थे। इस अधिनियम की मुख्य बातें यहां बिन्दुवार दी जा रही हैं—

- यह अधिनियम उन सभी क्षेत्रों पर प्रभावी है, जिन्हें सरकारी अभिलेखों में वनों के रूप में दर्ज किया गया है। इसका प्रभाव क्षेत्र सिर्फ सरकारी वनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह गैरसरकारी वनों पर भी लागू होता है।
- इस अधिनियम के तहत जहां किसी भी अनारक्षित वन को आरक्षित वन घोषित किया जा सकता है, वहीं केंद्र सरकार की अग्रिम इजाजत के बगैर वन भूमि का प्रयोग गैर-वानिकी कार्यों में नहीं किया जा सकता।
- अधिनियम यह व्यवस्था देता है कि यदि किन्हीं कारणों से वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों में उपयोग किया जाना नितांत आवश्यक हो तो वहां पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक होगा।
- इस अधिनियम के तहत आरक्षित वन में किसी को भी कटाई करने या आग जलाने का अधिकार नहीं है। मवेशियों का भी आरक्षित वनों में प्रवेश वर्जित है। पेड़ों की कटाई, लकड़ी, छाल या पत्तों का जमाव तथा खनन जैसी गतिविधियों को दंड के दायरे में लाया गया है। छह माह की कैद या 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं।
- किसी भी प्रकार का वन अपराध होने की दशा में वन अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उसमें प्रयुक्त औजारों और प्राप्त किये गये वनोत्पादों को जब्त कर सकें।

कीटनाशक अधिनियम-1968

पर्यावरण संरक्षण व सुधार की दृष्टि से यह राष्ट्रीय अधिनियम भी काफी महत्त्वपूर्ण माना जाता है, जो कि कीटनाशकों के आयात, निर्माण, विक्रय, यातायात, वितरण तथा उपयोग से मानव समुदाय तथा पशुओं को संरक्षण प्रदान करता है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड तथा कीटनाशक पंजीकरण समिति जैसे अभिकरणों की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह है कि कीटनाशकों के उपयोग को सीमित किया जा सके।

द फैक्टरी एमेण्डमेंट एक्ट-1987

यह अधिनियम द फैक्टरी एक्ट-1948 में संशोधन के बाद वर्ष 1987 में व्यापक रूप में लाया गया। यह अधिनियम उन क्रिया-कलापों व गतिविधियों के बारे में सूचना देने से संबंधित है, जो कि किसी कारखाने के भीतर होती हैं तथा जिससे वहां के स्थानीय निवासी, कर्मचारी व कार्यकर्ता आदि प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। यह अधिनियम कारखाने के कर्मचारियों को इस बात के लिए अधिकृत करता है कि वे संबंधित अधिकारी को कारखानों के भीतर सुरक्षा नियमों के हो रहे उल्लंघन की जानकारी दे सकते हैं। वर्ष 1992 में इस अधिनियम में संशोधन कर यह व्यवस्था दी गई कि सभी उद्योगों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे जल एवं वायु प्रदूषण अधिनियम तथा हानिकारक जल प्रबंधन अधिनियम का भी पालन करें। संशोधनों के तहत प्रत्येक वर्ष 15 मई से पूर्व उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष पर्यावरण ऑडिट रिपोर्ट पेश करने को अनिवार्य बनाया गया है।

Scanned by CamScanner

जैव-विविधता अधिनियम, 2000

यह अधिनियम राज्य-स्तरीय परिषदों एवं स्थानीय स्तर जैवविविधता प्रबंधन समितियों के संगठनों को जैवविविधता के संरक्षण से सम्बन्धित मामलों, इसके सतत् उपयोग एवं जैविक संसाधनों के निष्पक्ष एवं समान भागीदारी सम्बन्धी मामलों से निपटने की योग्यता प्रदान करता है। इस अधिनियम के अधीन 1 अक्टूबर, 2003 को चेन्नई में एक राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण

(National Green Tribunal)

पर्यावरण संबंधी विवादों के शीघ्र निपटारे तथा पर्यावरण से संबंधित कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को ध्यान में रख कर सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal-NGT) की स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय भोपाल में बनाया गया है। गौरतलब है कि इस तरह के न्यायाधिकरण का गठन करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश है। दो अन्य देशों ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैण्ड में इस प्रकार की अदालतें हैं। यहां हम इस न्यायाधिकरण से जुड़ी महत्त्वपूर्ण बातों को बिन्दुवार दे रहे हैं—

- यह न्यायाधिकरण उन पर्यावरण संबंधी मामलों का निपटारा करेगा, जो देश की विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं। प्रदूषित पर्यावरण से बीमारी, विकलांगता मृत्यु होने, व्यवसाय या सम्पत्ति को क्षति पहुंचने पर कोई भी व्यक्ति इस न्यायाधिकरण में मुआवजे का दावा कर सकेगा। पर्यावरण संबंधी हादसे के कारण जानमाल के नुकसान के एवज में फास्ट ट्रैक प्रणाली के तहत भी मुआवजे का दावा किया जा सकेगा।
- न्यायाधिकरण ऐसे प्रकरणों में पीड़ित पक्षकार की सहातया एवं क्षतिपूर्ति राशि (मुआवजा) प्रदान करने का आदेश जारी करने के लिए अधिकृत होगा। इस न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में ही अपील की जा सकेगी।
- प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं पर्यावरण संबंधी वैधानिक अधिकारों से लैस इस राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की चार क्षेत्रीय बेंचे भी स्थापित की जाएंगी।
- पूरे देश में इस न्यायाधिकरण के अंतर्गत पर्यावरण न्यायालयों का एक ऐसा संजाल (Network) स्थापित कियाजाएगा, जिसमें कि विषय विशेषज्ञ एवं दक्ष लोग सम्मिलित होंगे।
- पांच शाखाओं वाले इस न्यायाधिकरण में अधिकतम 20 पर्यावरण विशेषज्ञों एवं 20 न्यायाधीशों को रखे जाने काप्रावधान है।
- न सिर्फ देश का कोई भी नागरिक, अपितु कोई भी संस्था पर्यावरण से संबंधित मामला न्यायाधिकरण में दाखिल कर सकेगी।
- सुनिश्चित प्रावधानों के तहत क्षति के लिए वह पक्षकार जिम्मेदार होगा, जो कि प्रदूषण फैलाने का दोषी पाया जाएगा।
- वैज्ञानिक शोधों एवं तर्कों के आधार पर किसी कार्य को संपादित कराने वाले पक्षकार को यह साबित करना होगा कि उसके कार्य से पर्यावरण को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी।

Scanned by CamScanner